न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2019/22

1. श्रीमती गीता पत्नि श्रवण, पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, उम्र 47 वर्ष,
2. श्रीमती सीता पत्नि श्रीनारायण, पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, उम्र 42 वर्ष, समस्त जाति जाट, निवासीगण–ग्राम चतरपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी–ग्राम किशनपुरा, तहसील–मौजमाबाद, जिला–जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती भूरी देवी पत्नि पांचूराम पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम मोहब्बतपुरा, तहसील–फागी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती शांति देवी पत्नि भोलूराम पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर।
3. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नि रामदयाल पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. श्रीमती गंगा देवी पत्नि कानाराम पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि रामकिशन पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण, जाति जाट निवासी ग्राम किशनुपरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. जगदीश दत्तक पुत्र कल्याण प्राकृतिक पिता सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

दावा घोषणा खातेदारी हक, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि :–

वादीयान् एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

कल्याण पुत्र रामचन्द (मृत्यु दिनांक 04.03.2019)

मंगली देवी पत्नि कल्याण (मृत्यु दिनांक 20.05.2018)

भूरी   शांति   कैलाशी   गंगा   मन्नी   गीता   सीता   जगदीश

वादीयान एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के माता–पिता ग्राम चतरपुरा, तहसील–सांगानेर जिला जयपुर के रहने वाले है। वादीयान् व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का पालन–पोषण एवं विवाह भी माता–पिता कल्याण व मंगलीदेवी ने ही किया था। वादीयान् के जायन्दा पुत्र नहीं होने से कल्याण ने अपने भाई सूजाराम के लडके प्रतिवादी संख्या 6 ने वादीयान् के माता–पिता की कोई सेवा सुश्रुषा नहीं की बल्कि कल्याण पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी की करीब 54 बीघा कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द व बेचान कर समस्त बेचान राशि लेकर अपने प्राकृतिक पिता सूजाराम के पास चला गया। वादीयान् की माता मंगली देवी के नाम कृषि भूमि ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में की जमाबंद के खाता संख्या नया 85 गत खाता संख्या 77 खसरा नंबर 573 रकबा 0.11 हैक्टीयर किस्म बारानी किता 1 कुल रकबा 0.11 हैक्टीयर खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि स्थित है जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया है। मंगली देवी के हक में उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 573 रकबा 0.11 हैक्टीयर को उसकी सास श्रीमती मोहरीदेवी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कराया था। जिससे उक्त भूमि की मंगली देवी एकमात्र तन्हा खातेदार एवं स्वामिनी काबिज थी एवं उक्त भूमि मंगली देवी की स्व–अर्जित भूमि रही है। मंगली देवी को उक्त भूमि के समस्त मालिकाना हक अधिकार प्राप्त थे। वादीयान एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के माता–पिता को प्रतिवादी संख्या 6 जगदीश ने वर्ष 1998 में धोखा देकर तथा [illegible] सम्पूर्ण कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द कर अकेला [illegible] मौजीज व्यक्तियों एवं रिश्तेदारान् के तथा वादीया[illegible] पर वादीयान् ने ही अपने माता–पिता की उनकी अन्तिम समय में [illegible]5–16 वर्षो से उनके 100 वर्ष पूरे होने तक सेवा–सुश्रुषा की है। वादीयान् की सेवा से प्रसन्न होकर वादीयान की माता मंगली देवी ने प्रसन्न होकर अपनी राजी–खुशी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

स्वेच्छा से अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 573 रकबा 0.11 हैक्टीयर ग्राम चतरपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर का अंतिम वसीयतनामा दिनांक 09.02.2018 को अपने स्वस्थचित्त व स्थित बुद्धि से दो गवाहान् के समक्ष वादीयान् के हक में निष्पादित किया तथा नोटेरी पब्लिक किरण माहेश्वरी से प्रमाणित कर उनके रजिस्टर में क्रमांक 109 दिनांक 09.02.2018 को दर्ज करवाया। वादीयान् की माता का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2018 को ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर में हो गया तथा वादीयान् के पिता का स्वर्गवास दिनांक 04.03.2019 में हो गया है। इससे पूर्व मंगली देवी ने उक्त कृषि भूमि के बाबत् ना तो कोई विक्रय विलेख या वसीयतनामा तहरीर किया था और ना ही बाद में कोई वसीयतनामा किसी अन्य के हक में तहरीर व तकमील किया है। वादीयान् के हक में किया गया वसीयतनामा दिनांक 09.02.2018 ही मंगली देवी का प्रथम व अन्तिम वसीयतनामा है, जिसके आधार पर वादीयान् उक्त सम्पति की खातेदारी एवं हक अधिकार की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती कराने की कानूनन हक व अधिकारिणी है। उक्त सम्पति में वादी संख्या 1 को 3/5 हिस्से व वादी संख्या 2 को 2/5 हिस्से का स्वामी व अधिकारी बनाया। वादीयान् की माता द्वारा निष्पादित वसीयतनामें को वादीयान् ने स्वीकार कर हिस्से अनुसार वर्तमान में बहैसियत स्वामी काबिज तथा उपयोग व उपभोग कर रही है। वादीयान् ने दिनांक 08.04.2019 को वसीयत के आधार पर विरासत नामान्तकरण वादीयान् के नाम खोलने के लिए तहसीलदार जी सांगानेर व सरपंच ग्राम पंचायत भापुरा को प्रार्थना पत्र पेश किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की है बल्कि उन्होने वसीयतनामा देखकर कहा कि आप इस वसीयतनामें के आधार पर सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तभी केवल आपके नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जावेगा, जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणा खातेदारी हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की सादर फरमाई जावे कि वाद–पत्र के मद नंबर 3 में वर्णित [illegible] रकबा 0.11 हैक्टीयर सम्पूर्ण वाकै [illegible] भापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की [illegible] 02.2018 के अनुसार वादी संख्या 1 हिस्सा 3/5 एवं वादी संख्या 2 [illegible] 2/5 की खातेदार काश्तकार है घोषणा की जाती है तथा इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकन अमल दरामद किया जावें। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 573 रकबा 0.11 हैक्टीयर सम्पूर्ण वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का भापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की वादीयान् वसीयत दिनांक 09.02.2018 के अनुसार वादी संख्या 1 हिस्सा 3/5 एवं वादी संख्या 2 हिस्सा 2/5 में के वादीयान् के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में बेजादखलन्दाजी व मजाहमत न करने तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल न करे तथा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में किसी प्रकार का हेर–फेर परिवर्तन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद किया जावे।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल जमाबंदी खसरा नंबर 573 रकबा 0.11 हैक्टीयर ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, वसीयतनामा दिनांक 02.09.2018 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि :–

वसीयतनामा हमारे सामने ही निष्पादित करवाया गया था मंगली देवी ने वसीयतनामा वादीयान् के हक में स्वेच्छापूर्वक पूर्ण होशोहवास में एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में करवाया था। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण सादर डिक्री फरमाये जाने से मिन प्रतिवादीयान् को कोई आपत्ति नहीं है। इकबालिया जवाब दावा होने के कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्रीमती गीता पत्नि श्रवण, पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण उम्र 47 वर्ष जाति जाट, निवासीगण–ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी–ग्राम किशनपुरा, तह[illegible]बाद, जिला जयपुर, पीडब्ल्यू–2 श्रीमती सीता पत्नि श्रीनारायण पुत्री [illegible] श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासीगण ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी–ग्राम [illegible]किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, पीडब्ल्यू 3 दिनेश चौधरी पुत्र रामकिशन चौधरी उम्र 21 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जयपुर, पीडब्ल्यू 4 श्रवण लाल पुत्र श्री श्योजीलराम उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम किशनुपरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, पीडब्ल्यू 5 श्रीमती कैलाशी देवी पत्नि रामदयाल, पुत्री स्व0 श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण उम्र 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वादपत्र में बहस अन्तिम सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत वसीयतनामा जो 100/–रूपये (अक्षरे–एक सौर रूपये) के स्टॉम्प पेपर व दो किता ग्रीन पेपर्स पर नोटेरी पब्लिक (किरन माहेश्वरी जयपुर, रजिस्टर्ड नं. 11736) द्वारा क्रमांक 109 दिनांक 09.02.2018 को गवाहान् कैलाशी देवी पिता रामदयाल पता किशनपुरा मौजमाबाद जयपुर व दिनेश चौधरी पुत्र रामकिशन निवासी किशनपुरा मौजमाबाद जयपुर की उपस्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार मंगली देवी आयु लगभग 83 वर्ष, धर्मपत्नि श्री कल्याण जाट के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 85 पुराना संख्या 77 आराजी खसरा नबंर 573 रकबा 0.1100 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर को वादीगण (1) श्रीमती गीता आयु 42 वर्ष, धर्मपत्नि श्री श्रवण हिस्सा 3/5 एवं (2) श्रीमती सीता, आयु 38 वर्ष, धर्मपत्नि श्री नारायण हिस्सा 2/5 के पक्ष में वसीयत की है। इसकी पुष्टि गवाहान द्वारा न्यायालय हाजा में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर की गई है। वादीयान की माता श्रीमती मंगली देवी पत्नी कल्याण जाति जाट जो खसरा नंबर 573 रकबा 0.1100 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थी उसे अपनी सम्पत्ति को स्थानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार था। साक्ष्य गवाहान ने भी न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर श्रीमती मंगली देवी द्वारा वादीयान के पक्ष में की गई वसीयत को सही बताया है। ऐसे में [illegible] आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 0.1100 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर [illegible]दार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित [illegible]

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 0.1100 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी (संख्या 1) श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

गीता पत्नि श्रवण पुत्री श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण को हिस्सा 3/5 व वादी (संख्या 2) श्रीमती सीता पत्नि श्रीनारायण, पुत्री श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण को 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 0.1100 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला ज़यपुर में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की पर्चा डिक्री व तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास

श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

श्रीमती गीता देवी **बनाम** श्रीमती भूरी देवी वगै.

दावा घोषणा खातेदारी हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/22

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 0.1100 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी (संख्या 1) श्रीमती गीता पत्नि श्रवण पुत्री श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण को हिस्सा 3/5 व वादी (संख्या 2) श्रीमती सीता पत्नि श्रीनारायण, पुत्री श्रीमती मंगली देवी पत्नि कल्याण को 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 0.1100 हैक्टेयर वाकै ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.02.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner